



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

कार्या.- आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण), दिल्ली

O/o The Director General of Income Tax (Investigation), Delhi

कमरा सं.-301, सी-ब्लॉक, सिविक सेंटर, नई दिल्ली- 110002

Room No. 301, C- Block, Civic Centre, New Delhi-110002

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मूल्य निर्धारकों का रजिस्ट्रेशन

यह आम जनता/ हितधारकों के ध्यान में लाने के लिए है कि इच्छुक व्यक्ति, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(2)/132(9डी) के तहत डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण, आभूषण, प्लांट व मशीनरी, संपत्ति, पेन्टिंग, धर्मग्रंथ, कला और कलाकृतियां, घड़ियां या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु पंजीकृत करने के लिए, आयकर अधिनियम 1962 के नियम 13 के तहत फॉर्म-6सी विधिवत भरकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

इस आवेदन के लिए विस्तृत नियम और शर्तें आयकर महानिदेशक (अन्वे.) कार्यालय, दिल्ली कमरा संख्या 305, सी ब्लॉक सिविक सेंटर, नई दिल्ली से व्यक्तिगत रूप से या dgit.inv.delhi@incometax.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है अथवा <https://incometaxindia.gov.in/Rules/Wealth-Tax%20Rules,%201957/2010/10312000000006826.htm> से डाउनलोड किया जा सकता है।

उपरोक्त के लिए आवेदन करने में रुचि रखने वाली कंपनियां/ फर्म/ व्यक्ति अपना आवेदन 15.02.2024 को या उससे पहले कमरा संख्या 304, सी-ब्लॉक सिविक सेंटर, नई दिल्ली में जमा कर सकते हैं।

आयकर अधिकारी (अन्वे.)(मुख्या.)
कार्या.-आयकर महानिदेशालय (अन्वे.)
नई दिल्ली।